

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 06 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर ₹ 600000/- (छः लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 690000/- (छः लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का स्वीकार, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नरेंद्र कुमार, 38, श्री शिवाराम सिंह, सामान्य	श्रीमती रिमझिम देवी(पत्नी)	517/23.12.19	ग्रा०+पो०-लखीसराय वार्ड नं० 09, लखीसराय	65973841 85	Indian Bank, Lakhisarai, IDIB000L026	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में बिजली मिस्त्री का कार्य
2	स्व० मदन साव, 49, श्री भालो साव, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सावित्री देवी(पत्नी)	528/30.12.19	ग्रा०-प्रेमडोहा, पो०-मोहदीनगर, था०-हलसी, लखीसराय	58141011 0008582	Bank of India, BKID0005814	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पट्टी डुकानदार(शिल्पकार) का कार्य
3	स्व० सिको तुरी, 30, स्व० गिरजा तुरी, अनु० जाति	श्रीमती रीना देवी(पत्नी)	5/9.1.20	ग्रा०+पो०-लखीसराय वार्ड नं० 09, लखीसराय	50368878 441	Allahabad bank, Lakhisarai, ALLA0213239	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर का कार्य
4	स्व० राजेश कुमार, 30, श्री वासो महतो, अनु० जाति	श्रीमती सरीता देवी(पत्नी)	4/9.1.20	ग्रा०-कोली, पो०-परशामा, था०-हलसी, लखीसराय	31160110 065414	BGB, Parsama, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ट्रक चालक का कार्य
5	स्व० अशोक यादव, 43, श्री सरयुग यादव, अनु० जाति	श्रीमती शान्ती देवी(पत्नी)	30/25.01. 2020	ग्रा०-खगौर, पो०-किउल आर०एस०, था०+जि०-लखीसराय	36333645 37	CBI Khagaur, CBIN0282417	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूरी का कार्य
6	स्व० नीरजा देवी, 57, अ० पि० वर्ग	श्री तारणी प्रसाद राय(पति)	31/25.01. 2020	ग्रा०-इटाँ, पो०-मनपुर, प्र०-चानन, लखीसराय	37814409 095	SBI, Mananpur, SBIN0017419	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
7	स्व० संजैत कुमार, 32, श्री अर्जुन चौधरी, अ० पि० वर्ग	श्रीमती पिंकी देवी(पत्नी)	32/25.01. 2020	ग्रा०-पंजाबी मुहल्ला वार्ड नं० 17, लखीसराय	37751060 38	Central Bank of India, Lakhisarai, CBIN0280049	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
8	स्व० विपीन सिंह, 48, श्री जनार्दन सिंह, सामान्य	श्रीमती निशा देवी(पत्नी)	39/25.01. 2020	ग्रा०-महसौली, पो०-बघौर, था०-हलसी, लखीसराय	38412754 891	SBI, Halsi, SBIN0004574	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
9	स्व० राजेंद्र यादव, 61, श्री रामस्वरूप यादव, अ० पि० वर्ग	श्रीमती जानकी देवी(पत्नी)	38/25.01. 2020	ग्रा०-पुरानी छावनी इंगलीश वार्ड 18, पो०-बड़हिया, लखीसराय	11535797 595	SBI, Barahiya, SBIN 0002916	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, गाय पालने का कार्य शिल्पकार श्रमिक


कुल :- ₹ 690000/-


(छः लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-07/2019 के पृष्ठ-29/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।



(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी



(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-07/2019-81

पटना, दिनांक :- 19-03-2020

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 690000/- (छः लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।